# No. 45093*

## New Zealand
## and
## India

**Air Services Agreement between the Government of New Zealand and the Government of the Republic of India (with annex). New Delhi, 2 May 2006**

**Entry into force:** *13 November 2006 by notification, in accordance with article 20*

**Authentic texts:** *English and Hindi*

**Registration with the Secretariat of the United Nations:** *New Zealand, 1 July 2008*

---

## Nouvelle-Zélande
## et
## Inde

**Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement de la République de l'Inde (avec annexe). New Delhi, 2 mai 2006**

**Entrée en vigueur :** *13 novembre 2006 par notification, conformément à l'article 20*

**Textes authentiques :** *anglais et hindi*

**Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :** *Nouvelle-Zélande, 1er juillet 2008*

* *The texts reproduced below are the original texts of the agreement as submitted. For ease of reference, they were sequentially paginated. The relevant Treaty Series volume will be published in due course.*

*Les textes reproduit ci-dessous sont les textes authentiques de l'accord tel que soumises pour l'enregistrement. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Le volume correspondant du Recueil des Traités sera disponible en temps utile.*

[ HINDI TEXT – TEXTE HINDI ]

न्यूजीलैंड सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें तत्पश्चात 'पक्ष') कहा गया है;

जो 07 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के संबंधित पक्ष है;

जो अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच तथा उनसे परे अन्तरराष्ट्रीय विमानन सेवाएं चलाने की इच्छुक हैं;

जो एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर एक अंतरराष्ट्रीय विमान प्रणाली को प्रोत्साहित करना चाहते हैं;

जो अन्तरराष्ट्रीय विमान परिवहन में संरक्षा और सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित तथा विमान की सुरक्षा के विरूद्ध धमकी के कार्रवाई के बारे में चिंता करते हुए जिससे व्यक्तियों अथवा सम्पत्तियों की सुरक्षा प्रभावित होती हो जिसे विमान परिवहन के प्रचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हों, तथा जिससे जनता के मन में नागर विमानन की सुरक्षा के प्रति विश्वास में कमी आती हो;

निम्न प्रकार से सहमत हुए हैं :-

## अनुच्छेद-एक
## परिभाषा

इस करार के प्रयोजनार्थ, जहाँ पाठ में अन्यथा अपेक्षा नहीं की गई है-

1. वैमानिकी प्राधिकारी पद का आशय न्यूजीलैंड के मामले में नागर विमानन के लिए उत्तरदायी मंत्री तथा भारत के मामले में, नागर विमानन महानिदेशक अथवा दोनों मामलों में कोई अन्य प्राधिकारी अथवा निकाय से है जिन्हें अब संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा है अब इसे प्राधिकृत किया गया है;

2. 'करार' का आशय 'करार' इसके अनुबंध तथा इसमें किया गया कोई भी संशोधन से है;

3. 'अभिसमय का आशय', 7 दिसम्बर, 1944 में शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है तथा इसमें वह कोई भी संशोधन शामिल है तथा उसी समय के अनुच्छेद 94(क) के अधीन लागू किया गया है तथा जिसका अनुसमर्थन दोनों पक्षों ने कर दिया है तथा इसमें इस प्रकार के अनुबंध अथवा संशोधन दोनों पक्षों के लिए भी प्रभावी हैं, अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अधीन कोई भी संशोधन को अपनाया गया है;

4. 'नामित विमान कम्पनी' का आशय एक ऐसी विमान कम्पनी से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 (नामन और प्राधिकार) के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो।

5. 'पूर्ण लागत' का आशय प्रदान की जाने वाली सेवा की लागत, जिसे तथा प्रशासनिक ओवरहैड के लिए उपयुक्त प्रभार सहित लागत से है;

6. 'अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं' का आशय एक ऐसी विमान सेवा से है जो एक राष्ट्र से अधिक राष्ट्र के राज्य क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र से गुजरती हो;

7. 'मूल्य' का आशय यात्रियों (और उनके सामान) के वहन और/अथवा कार्गो (डाक को छोडकर) एयरलाइनों द्वारा वसूला जाने वाला विमान सेवा प्रभार के लिए कोई किराया दर अथवा विनिमय से है जिसमें उनके एजेंट भी शामिल है तथा वे शर्तें भी शामिल हैं जिनमें इस प्रकार के किराए दर अथवा प्रभार की उपलब्धता भी शामिल है;

8. 'गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए रूकना' एयरलाइन और विमान सेवा का आशय वही है जो इसके लिए अभिसमय के अनुच्छेद 96 में इनके लिए दिया गया है;

9. 'राज्यक्षेत्र का' आशय वही है जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में इनके लिए दिया गया है बशर्ते कि न्यूजीलैंड के मामले में 'राज्यक्षेत्र' का आशय में शामिल नहीं होगा;

10. 'उपयोगिता प्रभार' का आशय वह प्रभार से है जिसे हवाईअड्डा, विमान दिक्चालन अथवा विमानन सुरक्षा सुविधाओं अथवा सेवाओं का प्रावधान के लिए एयरलाइनों पर लगाए जाने वाले प्रभार से है जिसमें संबंधित सेवाओं तथा सुविधाएं सम्मिलित हैं।

## अनुच्छेद - दो
## अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार में अनुबंध में उपयुक्त रूप में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अन्तरराष्ट्रीय सेवाओं की स्थापना के प्रयोजन के लिए यह करार निर्दिष्ट अधिकार प्रदान करेगा। इस प्रकार की सेवाओं और मार्गों को तत्पश्यात, क्रमशः सहमत सेवाएं तथा विनिर्दिष्ट मार्ग कहा गया है।

2. इस करार के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी (कम्पनियों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :-

(क) बिना अवतरण किए इसके राज्यक्षेत्र के ऊपर उड़ान भरने का अधिकार;

(ख) गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए इसके राज्यक्षेत्र में रूकने का अधिकार;

(ग) विनिर्दिष्ट मार्ग पर सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय, प्रत्येक द्वारा नामित विमान कम्पनी (कम्पनियों) को इस करार के अनुबंध में मार्गों के लिए वर्णित स्थान (स्थानों) पर अन्य पक्षों के राज्यक्षेत्र में डाक को छोड़कर यात्रियों तथा कार्गो में अन्तरराष्ट्रीय यातायात अलग से अथवा संयुक्त रूप से उतारने तथा चढ़ाने का अधिकार होगा;

3. इस करार के अनुच्छेद 4 के अधीन उन नामित कम्पनियों से अलग, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की विमान कम्पनी (कम्पनियों) भी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के उप पैरा ग्राफ (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिकारों को पाने के हकदार होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) का अर्थ यह नहीं माना जाएगा कि एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी (कम्पनियों) द्वारा आय संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में यात्रियों, कार्गो और डाक में विमान पर लेने का विशेष अधिकार मिल गया है जिसे अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में अन्य स्थान के लिए भेजा जा रहा है।

## अनुच्छेद - तीन
## पदनामन तथा प्राधिकार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को इस करार के साथ इसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय विमानपरिवहन के लिए कितनी भी संख्या में विमान कम्पनियों को नामित कर सकती है जितनी वह आवश्यक समझे तथा इस प्रकार के मामले को वापस ले सके अथवा फेर-बदल कर सके। इस प्रकार के नामित करने की जानकारी राजनयिक माध्यम से लिखित रूप से अन्य संविदाकारी पक्ष को दी जाएगी तथा यह पहचान की जाएगी कि क्या एयरलाइन अन्तरराष्ट्रीय विमान परिवहन के लिए प्राधिकृत है। इस प्रकार के नामित इन एयरलाइनों के लिए अपेक्षित नहीं होगा जो अनुच्छेद-तीन उप-पैरा 1 (क) और 1 (ख) में इसके लिए अधिकारों का निर्वाह कर रही है।

2. प्रचालन प्राधिकार तथा तकनीकी अनुमति के लिए निर्धारित फार्म तथा तरीके से नामित विमान कम्पनी से इस प्रकार का नामन तथा आवेदन प्राप्त होने पर, अन्य संविदाकारी पक्ष न्यूनतम देरी किये बिना उपयुक्त प्राधिकार तथा अनुमति की स्वीकृति देगी बशर्ते कि:-

(क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभारी नियंत्रण एयरलाइन, उस पार्टी के राष्ट्रिकों अथवा दोनों में उस पार्टी में निहित है;

(ख) नामित विमान कम्पनी कानूनों, विनियमों तथा नियमों की भांति विमान कम्पनी को पूरा करने में अर्हता प्राप्त है जो आवेदनों/आवेदनों पर विचार करने वाले पक्ष द्वारा अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए जो सामान्यतया लागू नियमों और विनियमों के अनुरूप हो;

(ग) एयरलाइन को नामित करने वाला पक्ष अनुच्छेद-छः (संरक्षण) तथा अनुच्छेद-सात (विमानन संरक्षा) में निर्धारित मानकों का रख-रखाव तथा प्रशासन कर रहा हो।